तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	पत्रावली पेश हुई, वकील पक्षकार उपस्थित। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 19.09.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)
	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 19.10.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)
19/10/22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 31.10.22 को पेश हो।
31/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जो आदेश पृथक से लिखा जाकर या.मा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 182/2020
दायर दिनांक :– 04.09.2020

अनवान
धनलाल पिता सुखदेव गुर्जर नि. जसवन्तपुरा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. माया पुत्री सोनाथ गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
2. रमेश पिता सुखदेव गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
3. लाली पुत्री सुखदेव गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
4. रामकूरी पत्नि सुखदेव गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
5. रंगलाल पिता हाथी गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
6. माँगी पुत्री हजारी गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
7. प्रहलाद पिता नन्दलाल भाट निवासी समात्नमाय तहसील जहाजपुर
8. करणा पिता उदा गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
9. रामनाथ पिता श्रीकिशन गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
10. रामनारायण पिता श्रीकिशन गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
11. गोपाल पिता श्रीकिशन गुर्जर निवासी जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर
12. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अखलाक खान, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश ::

दिनांक 31.10.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम जसवन्तपुरा प.ह. जसवन्तपुरा भु. अ. नि. क्षैत्र पण्डेर तहसील जहाजपुर में आराजी सं. 3610 रकबा 0-10 बिस्वा, आराजी सं. 3616 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा नाराजी सं. 3620 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, आराजी सं. 3623 रकबा 0-02 बिस्वा, आराजी सं. 011 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा आराजी सं. 3831 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा कुल कीता 6 रकबा 12–00 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदार रंगलाल पिता हाथी 1/3 रमेश, धनलाल, लाली, सुखदेव, रामकंवरी बेवा सुखदेव गुर्जर 1/3 के नाम सा.देह खातेदारी एवं प्रहलाद पिता नन्दलाल भाट 1/3 सा0 पण्डेर के नाम खातेदारी से दर्ज है। ग्राम जसवन्तपुरा प.ह. जसवन्तपुरा भु. अ. निरिक्षक क्षेत्र पण्डेर तहसील जहाजपुर मे आराजी सं. 3611 रकबा 0-09 बिस्वा, आराजी

Scanned with CamScanner

सं. 3615 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, 3618 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, आराजी सं. 3624 रकबा 0-03 बिस्वा कुल कीता 4 रकबा 05–13 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे खातेदार करणा पिता उदा 1/4 रामनाथ, रामनारायण, गोपाल पिता श्रीकिशन 1/4 रंगलाल पिता हाथी 1/6 रमेश, धनलाल, लाली पिता रामकंवरी बेवा सुखदेव गुर्जर 1/6 माया पिता सोनाथ 1/6 गुर्जर के नाम सा. देह खातेदारी से दर्ज है। आराजी सं. 3618 में से आराजी सं. 3618/2 रकबा 0-01 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय प्राधिकरण ईकाई भीलवाडा–उनियारा के नाम दर्ज किये जाने से आराजी सं. 3618/1 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि करणा पिता उदा 1/4 रामनाथ, रामनारायण, गोपाल, पिता श्रीकिशन 1/4 रंगलाल पिता हाथी 1/6 रमेश, धनलाल, लाली पिता सुखदेव, रामकंवरी बेवा सखदेव गुर्जर 1/6 माया पिता सोनाथ 1/6 दर्ज की गई है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं एक लगायत छ की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जो कि उक्त भूमि पूर्व में खातेदार हाथीराम के नाम खातेदारी से दर्ज थी, जो कि हाथीराम की मृत्युपरान्त इसकी बेवा गँगादेवी की भी मृत्यु हो गई। तब हाथी की पुत्री मॉगी ने उक्त भूमि में अपना हिस्सा भाईयों के हक में त्याग देने से उक्त भूमि विरासत से रंगलाल, सुखदेव, सोनाथ के नाम खातेदारी से दर्ज की गई। सुखदेव की मृत्युपरान्त इसके हिस्से की भूमि वारिसान पुत्र रमेश, धनलाल व पुत्री लाली एवं बेवा रामकूरी के नाम खातेदारी से दर्ज की गई। प्रार्थी के काका सोनाथ ने इसके जीवनकाल में इसके पुत्र सन्तान उत्पन्न नहीं होने से, इसने प्रार्थी को समाज में प्रचलित प्रथानुसार एवं रिती–रिवाजानुसार गोद लिया। तब से प्रार्थी धनलाल ने सोनाथ के पत्र के रूप में जीवनयापन किया व सोनाथ के जीवनकाल तक इसकी सेवा का, व सोनाथ की पत्नि व प्रार्थी की गोदमाता गीता की सेवा की एवं इसकी मृत्य के समय सारा कियाकर्म भी प्रार्थी ने ही किया, एवं सोनाथ द्वारा अपने हिस्से की भूमि को कर्जदारों के यहां रहन रखकर लिये कर्ज की राशी को भी प्रार्थी ने ही अदा किया, एवं सोनाथ की मृत्यु दिनांक 03/03/2005 को हई तब इसका सारा कियाकर्म भी प्रार्थी ने ही किया, सोनाथ की मृत्यु के समय सामाजिक रिती–रिवाजानुसार इसकी पगडी का कार्यक्रम रखा गया। जिसमें समाज के सभी मौतबीरानों की मौजुदगी में सोनाथ की पगडी प्रार्थी को बाँधी गई। इस प्रकार प्रार्थी सोनाथ का पुत्र कहलाया। इसके बाद सभी समाजजनों ने सोनाथ के घर पर इक्ट्ठा होकर अप्रार्थीया माया का मौजूदगी में व इसकी सहमति से दिनांक 22/01/2006 को सामाजिक पंचनामा तैयार करते हुए एक गोदनामा की लिखत भी निष्पादित की। जिसमें सभी परिवारजन व समाज के मोतबीरानों ने भाग लेकर अपने हस्ताक्षर करके प्रार्थी को सोनाथ का गोदपुत्र माना। एंव सोनाथ की मृत्यु के बाद का पुत्री अप्रार्थीया माया अव्यस्क होकर छोटी थी। जो कि माया की पढाई–लिखाई, व इसके खर्च की सारी जिम्मेदारी भी प्रार्थी ने ही उठाया, एवं माया की शादी–सम्बन्ध आदि ने ही करवाया। एवं उक्त माया के विवाह का सम्पूर्ण खर्च भी प्रार्थी ने ही उठाया। अप्रार्थीया माया के मन में बेईमानी आ जाने से इसने सोनाथ द्वारा प्रार्थी को गोद जाने के तथ्य को छिपाते हुए, उक्त सोनाथ के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को स्वंय के नाम से दर्ज करवा ली। एवं इसके विवाह के बाद माया ने उक्त भूमि में से अपना हिस्से को प्रहलाद भाट को विकय करके रजिस्ट्री करवा दी। जिससे उक्त भूमि में प्रहलाद का नाम खातेदारी से दर्ज कर दिया गया। जो कि उक्त विकय प्रार्थी के हक व हिस्से तक प्रारम्भ से शून्य होकर शून्य प्रभावी है। प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा माया पिता सोनाथ गुर्जर द्वारा प्रहलाद भाट को विकय करने से, प्रहलाद पिता नन्दलाल भाट 1/3 के बजाय, प्रहलाद पिता नन्दलाल भाट 1/6 एवं धनलाल गोदपुत्र सोनाथ गुर्जर 1/6 दर्ज करवाना चाहता है। वर्णित आराजियात मे राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा माया पिता सोनाथ गुर्जर 1/6 के बजाय धनलाल गोदपुत्र सोनाथ गुर्जर 1/12 माया पिता सोनाथ गुर्जर 1/12 खातेदारी से दर्ज कराये जाने की उद्घोषणा कराना चाहता है। एंव मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हक व हिस्से की कृषि भूमि जो सोनाथ की भूमि से गोद पुत्र के रूप में प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज की जानी है। उक्त भूमि की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता

Scanned with CamScanner

है। अप्रार्थी संख्या आठ लगायत ग्यारह को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है। प्रार्थी का यह प्राईमा पेशी केस है व सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थी माया व प्रहलाद को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुल्याकन किया जाना सम्भव नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की पैरा सख्या दो व तीन में वर्णित भुमि के राजस्व रिकॉर्ड की मौके व रेकॉर्ड यथास्थिति रखे जाने बाबत माया व प्रहलाद को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार सोनाथ की मृत्यु दिनांक 09.03.2005 को ही हो गई थी। प्रार्थी द्वारा स्वंय को सोनाथ ने उनके जीवन काल में ही सामाजिक प्रथा अनुसार गोद लेना बताया है। एवं जिसका सामाजिक पंचनामा भी दिनांक 22.01.2006 को निष्पादित किया जाना बताया है। प्रार्थी द्वारा सोनाथ का विरासत से उसकी पुत्री माया के नाम नामान्तरण कब हुआ, इस संबध में कुछ भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी द्वारा वाद पत्र सन 2020 में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि माया ने वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से का अप्रार्थी सं. 7 प्रहलाद भाट को कब विकय किया है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संबध में समस्त आवश्यक तथ्य न्यायालय को नहीं बताये गये है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर ही प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के पक्ष में प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू का विवेचन किया जाना आवश्यक नही हैं। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner